67

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0.

निगरानी प्र0क्र0/ /017

20रु. न्यायालय शुल्क COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — विलोपित / विलोपित

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — विलोपित

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — विलोपित / विलोपित

III/निग./सीधी/प्र.रा./2017/1942

01-अली मोहम्मद तनय रहमत वक्स

02-मोइद्दीन तनय रहमत वक्स

दोनो निवासी ग्राम बड़खरा 734, तहसील चुरहट, जिला सीधी, म0प्र0.

-----आवेदकगण

बनाम

01- गुलाम मोहम्मद) तीनो के पिता मुनीर वक्स
02- इस्लाम वक्स)
03- मुस्तफा मोहम्मद)

सभी निवासीगण ग्राम बड़खरा 734 तहसील चुरहट, जिला सीधी, म0प्र0.

-----अनावेदकगण.

आवेदक गण की ओर से श्री ... द्वारा पेश 28-6-17
28-6-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल चुरहट जिला सीधी, के प्रकरण क्र0 21/अ-12/2016-17 आदेश दिनांक 16.06.017 मे पारित ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0 ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

(01) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 16.06.017 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(02) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन किए जाते समय निगराकारगण को किसीप्रकार से कोई सूचना या सम्मन नही दी और न ही जानकारी दी और

मोहम्मद

निरंतर...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1942–तीन / 2017 निगरानी　　　　　　जिला –सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त चुरहट जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 21 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16–06–2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदकगण के आवेदन पर उनके स्वामित्व की ग्राम बड़खरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 676 एंव 677 रकबा 0.260 हैक्टर का हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 2–6–17 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना की गई है । किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक वृत्त चुरहट ने सीमांकन आदेश दिनांक 16–6–17 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्ध यह निगरानी है। आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि सीमांकन गलत करते हुये उनकी भूमि को प्रभावित किया गया है एंव गलत सीमांकन से आवेदक का रक्वा दवता है। यदि आवेदकगण किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक अथवा अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के विधिवत् हुये सीमांकन में	

हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त चुरहट जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 21 अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16–06–2017 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य